राजस्थान सरकार

निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.18(आई-6)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2010-11/117-675 दिनांक 2-3-12

--: कार्यालय आदेश :--

राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी की चतुर्थ बैठक दिनांक 22.02.2012 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में जिन जिला परिषदों में वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर एवं पंचायत समितियों में परियोजना क्रियान्वयन संस्था में नियुक्त कार्मिकों हेतु कार्यालय के लिये पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है, उन्हें कार्यालय हेतु भवन किराये पर लेने की स्वीकृति निम्नानुसार शर्तों के अध्याधीन जारी की जाती है :--

1. सर्वप्रथम सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर एवं परियोजना क्रियान्वयन संस्था में कार्यरत कार्मिकों हेतु वर्तमान में उपलब्ध स्थान/क्षेत्रफल का आंकलन राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ.5(15)जीए/ए 59 दिनांक 18.05.59 के अनुसार करेंगे।
2. कार्यालय हेतु उपलब्ध स्थान पर्याप्त नहीं पाये जाने पर सर्वप्रथम सम्बन्धित जिला परिषद एवं पंचायत समितियों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध करवाने का समुचित प्रयास किया जायेगा।
3. सम्बन्धित जिला परिषद एवं पंचायत समितियों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्बन्धित जिला कलेक्टर से अन्य सरकारी भवनों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन करेंगे।
4. सम्बन्धित जिला कलक्टर कार्यालय से पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक एवं परियोजना क्रियान्वयन संस्था को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुरूप भवन किराये पर लेने की स्वीकृति जारी करेंगे।
5. परियोजना क्रियान्वयन संस्था हेतु भवन किराये पर लेने की स्वीकृति उन्हीं पंचायत समितियों हेतु जारी की जायेगी, जहां इनका मुख्यालय विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है।
6. भवन किराया, बिजली, पानी इत्यादि हेतु किया जाने वाला व्यय परियोजना हेतु उपलब्ध प्रशासनिक मद में से वहन किया जायेगा।
7. सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस सम्बन्ध में पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट एक माह की अवधि में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक: एफ.18(आई-6)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2010-11/117-675 दिनांक: 2-3-12

प्रतिलिपि :--

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज. जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
5. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/एमआईईएस), निदेशालय, जयपुर।
7. उपनिदेशक (IWMP-I,II,III,IV,V,VI,VII)/परियोजना अधिकारी(भू-संसाधन), निदेशालय, जयपुर।
8. समस्त परियोजना प्रबन्धक, वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
9. लेखाधिकारी समस्त, जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति,.................................
11. समस्त परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी एवं सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति,
12. ए.सी.पी., मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

निदेशक